06/06/24 इच्छित व्यक्ति कार्यालय अनु० आधार मांगा गई उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी समन्स दि० 12 की तलबी के बावजूद भी उपस्थित नहीं किए गए। अतः वाद पत्र अहम हजरी, अदम पैरवी क्या अनुमति आदेश 9 नियम 6 ज०ना०दी० के तहत खारीज किया जाता है। पक्षकारान को कोई खर्चा दिलाया होना पाया जाने से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)